कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक– 2579/12-1 : देहरादूनः दिनांकः 21 अप्रैल 2025

सेवा में,
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.595 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No- FP/UK/ROAD/153238/2022)

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या–1132/12–1 दिनांक 28 दिसम्बर, 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा 12 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु भारत सरकार को पूर्ण संलग्नकों के प्रस्ताव की मूल प्रति के साथ प्रेषित किया जाना है, परन्तु प्रेषित की गयी अनुपालन आख्या को पूर्ण संलग्नकों सहित प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रेषित अनुपालन आख्या में निम्न कमियों का भी निराकरण किया जाना आवश्यक है :–

1. मूल प्रस्ताव की प्रति जिसे अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जानी है के इन्डैक्स में अंकित पृष्ठ संख्या एवं प्रस्ताव के पृष्ठों पर अंकित पृष्ठ संख्या में भिन्नता उत्पन्न हो रही है साथ ही प्रस्ताव के पृष्ठों पर पूर्ण पृष्ठ संख्या भी अंकित नहीं की गयी है, जिस कारण से संलग्नकों का मिलान नहीं हो पा रहा है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–73, के उपरान्त 74 से 79 तक पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, सीधे पृष्ठ संख्या–80 अंकित की गयी है।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–83, के उपरान्त 10 पृष्ठों पर कोई भी पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, 10 पृष्ठों के उपरान्त सीधे पृष्ठ संख्या 84 अंकित की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण करते हुये परिपूर्ण संशोधित प्रस्ताव की प्रतियां उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2579 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव की तीनों मूल प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर, पुनः संशोधित प्रस्ताव तीन मूल प्रति में इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संशोधन हेतु तीन (03) प्रतियां प्राप्त की
15/05/2025
A.A.E

Gen Lett.